महत्वपूर्ण / तत्काल

संख्या–962/नौ–9–2017–81ज/17

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक,
स्थानीय निकाय,उ0प्र0,
लखनऊ।

(2) समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, 2017

विषय–प्रदेश में जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में कराये जा रहे कार्यो के सापेक्ष जी0एस0टी0 के भुगतान की प्रकिया के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रदेश में माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) अधिनियम–2017 लागू है। निकायों द्वारा तैयार किये गये आगणन के अनुसार कार्य कराये जाते हैं। कार्यो के आगणन में माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) सम्मिलित करने के बिन्दु पर कठिनाई उत्पन्न हो रही है, चूँकि यह दर विभिन्न श्रेणी के वस्तुओं पर अलग–अलग है।

2. उक्त के दृष्टिगत प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय निकायों द्वारा कराये जाने वाले कार्यो का आगणन तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त निविदा आदि की कार्यवाही की जायेगी। यह आगणन जी0एस0टी0 रहित होगा। निविदा के उपरान्त चयनित फर्म द्वारा कार्य सम्पादित कराया जायगा, जिसके सापेक्ष निकाय द्वारा भुगतान किया जायगा। फर्म द्वारा जी0एस0टी0 का भुगतान किया जायेगा तथा जी0एस0टी0 भुगतान विषयक बाउचर निकाय में जमा करने के उपरान्त (as per actuals) इस धनराशि की प्रतिपूर्ति निकाय द्वारा फर्म को किया जायेगा।

कृपया उक्त आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

16.10.17

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तैदव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।
3. प्रबन्ध निदेशक,जल निगम,उत्तर प्रदेश।
4. समस्त महाप्रबन्धक,जलकल विभाग,उत्तर प्रदेश।
5. समस्त महाप्रबन्धक,जल संस्थान,उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,उत्तर प्रदेश (द्वारा–निदेशक,स्थानीय निकाय,उत्तर प्रदेश।)
7. गार्ड फाइल हेतु

आज्ञा से,

17/1/17

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।